

बिना लाइसेंस के नूडल्स व चायपत्ती बेच रहे थे दुकानदार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का तीन दुकानों में छापा

दुकानदार बिना लाइसेंस के नूडल्स व चायपत्ती बेच रहे थे। मिलावट की आशंका पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार...

Bhaskar News Network

Aug 10, 2018

दुकानदार बिना लाइसेंस के नूडल्स व चायपत्ती बेच रहे थे। मिलावट की आशंका पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार को शनिचरी बाजार व वसंत विहार में तीन दुकानों पर छापा मारा तो इसका खुलासा हुआ। सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहित बेहरा, देवेन्द्र विंध्यराज, अविषा मरावी, नमूना सहायक अर्चना तिवारी की चार सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को शहर में मिलावटखोरी की सूचना मिली तो टीम बनाकर शनिचरी बाजार व वसंत विहार चौक के दुकानों में जाकर दबिश दी। दोपहर को टीम के सदस्य पहले शनिचरी बाजार गए। यहां तेजूराम गोवर्धनदास किराना दुकान में गए। यहां से आईएस नूडल्स का सैंपल लिया गया। इसके बाद इसके करीब ही बाजपेयी किराना दुकान में टीम ने सामान की एक्सपायरी डेट देखने के बाद चाय का सैंपल लिया। रेड लेब चाय का पैकेट बिना लाइसेंस का था। टीम यहां से सीधे वसंत विहार स्थित साईं ट्रेडर्स में गई। यह दुकान दिवाकर घमेचा की है। इस दुकान से नीरजा नूडल्स का सैंपल लिया गया। इसका भी लाइसेंस नहीं था। सैंपलों को सील कर जांच के लिए रख लिया गया है।

शनिचरी की दुकान से नूडल्स व चायपत्ती के सैंपल लिए गए।

रिपोर्ट आने तक बाकी माल खपता रहेगा दुकान में

जांच के दौरान सैंपल लेने के बाद बाकी सामान जो दुकानदार के पास होता है उसे वह चाहे तो बेच सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य अधिकारी देवेन्द्र विंध्यराज का कहना है कि यदि संबंधित खाद्य पदार्थ की खराब होने की आशंका होती है तभी सील किया जाता है।

मोबाइल लैब होते तो तत्काल जांच होती

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दो ही मोबाइल लैब मिले हैं। वर्तमान में यह सरगुजा, रायपुर व जशपुर में हैं। छापा के दौरान मोबाइल लैब होने से सैंपलों की जांच तत्काल हो सकती थी। सामान में मिलावट पाया जाता तो उसे जब्त किया जा सकता था।

जानिए क्या है छापाे व जांच की प्रक्रिया

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिस दुकान या संस्थान में छापा मारता है या जांच करता है, वहां मिलावट की आशंका वाले खाद्य पदार्थ का सैंपल संबंधित दुकान से अपने पैसे से खरीदता है। इसका वह चार भाग करता है। इनमें से दो दुकानदार का होता है और बाकी दो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग चार भागों में से केवल एक भाग को ही दुकानदार को देता है। बाकी तीन को अपने पास रख लेता है। विभाग के सैंपल को मौके पर ही सील किया जाता है। इनमें से एक भाग को जांच के लिए रायपुर लैब भेजा जाता है। दुकानदार से कहा जाता है कि वह चाहे तो अपने पास रखे भाग को जांच के लिए उनके भाग के साथ लैब भेज सकता है। दुकानदार यदि राजी नहीं होता तो वह भाग उसे दे दिया जाता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बाकी तीन भाग को लेकर चला जाता है।

रायपुर लैब जाएगा सैंपल, 14 दिन में होगी जांच

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी रोहित बघेल के अनुसार सैंपल रायपुर लैब भेजा जाएगा। इनकी जांच के लिए 14 दिन का समय निर्धारित है। तीनों दुकानों से जो सैंपल जब्त किए गए हैं, इन्हें सीलबंद कर शुक्रवार को लैब भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद से टाइम फिक्स हो जाएगा।